HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 17039/2026
CNR: RJHC021037452026 | URN: CRLMB / 31420U / 2026

Anil Kumar S/o Subban Singh, R/o Thada, Police Station Bhiwadi, Singh, District Khairthal Tijara (Rajasthan) (At Present In District Jail Khairthal-Tijara).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Ravindra Singh Shekhawat
For Respondent(s)	:	Mr. Shree Ram Dhakar, PP Mr. Manjeet Kumar for Respondent

---

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

29/10/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत अपनी नियमित जमानत हेतु यह प्रार्थना–पत्र **पुलिस थाना–भिवाडी जिला–खैरथल तिजारा** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **460/2026** अपराध अन्तर्गत धारा 189(2), 115(2), 119(1), 329(3), 333 बी.एन.एस. में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त को प्रकरण में मिथ्या फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त पर यह आक्षेप लगाया गया है कि उसने अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर परिवादी के प्लॉट पर कब्जा करने के आशय से वहां बनी दीवार को तोड़ दिया तथा उनके साथ मारपीट की। उनका तर्क है कि सम्पूर्ण मामले में केवल एक व्यक्ति के चोट आना पाया गया है तथा यह चोट भी साधारण प्रकृति की है। उनका तर्क है कि विवादित भूमि के सम्बन्ध में तकासमा का

दावा भी चल रहा है। उनका तर्क है कि मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक **10.10.2026** से निरन्तर न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण के अन्वेषण व अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाए।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक व विद्वान अधिवक्ता परिवादी का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर परिवादी की कम्पनी के प्लॉट पर कब्जा करने की कोशिश की तथा वहां बनी दीवार को तोड दिया तथा उनके साथ मारपीट की। उनका तर्क है कि अब तक किए गये अनुसंधान से प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित पाया गया है। उनका तर्क है कि अभियुक्त स्वयं यह कह रहा है कि यह जमीन उन्होंने कम्पनी को बेच दी थी और मौके पर पत्थरगढ़ी तहसीलदार से करवाई जाकर कम्पनी को कब्जा दिलवाया गया था। ऐसी स्थिति में अब अभियुक्त को भूमि पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है। गंभीर अपराध है। अतः उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जाए।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 189(2), 115(2), 119(1), 329(3), 333 बी.एन.एस. का आक्षेप लगाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी'अभियुक्त ने अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर परिवादी के प्लॉट पर कब्जा करने के आशय से वहां बनी दीवार को तोड़ दिया तथा उनके साथ मारपीट की। केस डायरी के अनुसार प्रकरण में केवल एक व्यक्ति के चोट आना पाया गया है तथा यह चोट भी साधारण प्रकृति की होना प्रतिवेदित हुई है। यह भी प्रकट हुआ है कि विवादित भूमि के सम्बन्ध में तकासमा का दावा चल रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक **10.10.2026** से निरन्तर न्यायिक अभिरक्षा में है। उसके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। प्रकरण के अन्वेषण व अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एवं विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत तर्कों के प्रकाश में, इस

स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे जमानत पर मुक्त कर दिया जाए।

(SHUBHA MEHTA),J

78/JITENDRA SINGH PANWAR